

## Daily Notes

लोक प्रशासन पर नियंत्रण व्यवस्था

### CONTROL SYSTEM OVER PUBLIC ADMINISTRATION

लोक प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी तथा संवेदनशील बनाने के लिए सार्थक तथा प्रभावी नियंत्रण - व्यवस्था का होना आवश्यक है क्योंकि नियंत्रण के अभाव में कुप्रबन्ध की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। हेनरी कैथोल के अनुसार, "यह प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध, विधि अनुसार, निर्देशानुसार तथा निर्धारित प्रक्रिया या सिद्धांतों के अनुसार सम्पादित कराने की एक प्रक्रिया है जो सही या गलत को प्रमाणित करती है।"

संगठन के आकार, उद्देश्यों तथा स्वरूप या प्रकृति के अनुसार नियंत्रण की विधियाँ तथा प्रणालियाँ भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। लोक प्रशासन में नियंत्रण के दो मुख्य उद्देश्य हैं:-

- वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग रोकना
- संविधान, कानून, नीतियों तथा निर्धारित नियमों के अनुरूप प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना।

सामान्यतः वित्तीय नियंत्रण के लिए वित्त मंत्रालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा संसदीय प्रक्रियाएँ और समितियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं लेकिन समस्त लोक प्रशासन पर नियंत्रण के तीन प्रमुख स्वरूप हैं:-

1. संसदीय नियंत्रण (विधायी नियंत्रण)  
Parliamentary Control (Legislative Control)
2. न्यायिक नियंत्रण  
Judicial Control
3. कार्यपालिका नियंत्रण  
Executive Control





संसदीय / विधायी नियंत्रण Parliamentary / Legislative Control  
 भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा (निम्न सदन) तथा राज्यसभा (उच्च सदन) मिलकर संसद कहलाते हैं। संसदीय नियंत्रण को विधायी नियंत्रण भी कहा जाता है क्योंकि देश के समस्त संघीय कानूनों या विधानों का निर्माण एवं स्वीकृति संसद के द्वारा प्राप्त होती है। संसदीय नियंत्रण के दो प्रकार हैं :-

1. संसद की नियमित प्रक्रियाओं के द्वारा नियंत्रण

2. संसदीय समितियों द्वारा नियंत्रण

1. संसद की नियमित प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रण - लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में विधायी नियंत्रण एक महत्वपूर्ण साधन है जो सरकार के कानूनों, नीतियों तथा बजट की स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य कई तरीकों से लोक प्रशासन को सजग, सक्रिय एवं जवाबदेय बनाए रखने में सहायक है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, विधायिका में बैठकर न केवल देश का मविषय तय करते हैं बल्कि प्रवर्तित प्रशासनिक प्रक्रियाओं की भी समीक्षा करते हैं। जनसाधारण की इच्छाओं, आकांक्षाओं तथा समस्याओं को राष्ट्र के सम्मुख लाने तथा उन पर सार्थक बहस करने का एकमात्र अशक्त मंच विधायिका ही है।

प्रत्येक देश विशेषतः संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में विपक्षी राजनीतिक पार्टियाँ सत्तारूढ़ सरकार को आठ दिन कटघरे में खड़ा कर संतोषजनक उत्तर माँगती हैं क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका सदन के प्रति जवाबदेय भी होती है। भारतीय संसदात्मक शासन प्रणाली में कतिपय ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जो लोक प्रशासन पर नियंत्रण करने में प्रभावी सिद्ध होती हैं, वे हैं :-

1. राष्ट्रपति का अभिभाषण - संसद का प्रत्येक नया अधिवेशन (दोनों सदनों की संयुक्त बैठक) राष्ट्रपति के अभिभाषण से प्रारंभ होता है। इस अभिभाषण में सत्तारूढ़ दल की नीतियों, मान्यताओं, कार्यक्रमों, सफलताओं तथा अन्य क्रियाकलापों का वर्णन होता है। इस अभिभाषण के चयनवादी प्रस्ताव पर वाद-विवाद करने के लिए सामान्यतः चार दिन का समय निर्धारित किया जाता है। विपक्षी दलों के <sup>सदस्य</sup> सरकार के कार्यकरण तथा नीतियों की आलोचना



## Daily Notes

करने एवं सामयिक समस्याओं को उजागर करने में पर्याप्त कार्य प्रदर्शित करते हैं क्योंकि अधिमाषण में सत्तारक्षक पक्ष की कार्यशैली का ही वर्णन होता है जिसमें अनेक बिन्दु ऐसे मिल जाते हैं जिन पर पर्याप्त चर्चा हो जाती है।

2. **बजट पर चर्चा** - बजट पर होने वाले वाद-विवाद प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण है। संसद में जैसे ही बजट प्रस्तुत किया जाता है उस पर सामान्य चर्चा आरम्भ हो जाती है। बजट पर बहस करने को दूसरे अवसर सदस्यों को तब मिलता है, जब विभिन्न विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान होता है। इस अवसर पर पूरा-पूरा लक्ष्य उठाते हुए संसद सदस्य विभागों की प्रशासनिक क्रियाओं की सूक्ष्म जाँच और परीक्षण करते हैं। इसके बाद सम्पूर्ण शासन पर चर्चा की जाती है, जो प्रायः हमेशा ही अति तीव्र होती है।

3. **प्रश्नकाल** - यह संसदीय नियंत्रण का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा प्रभावी माध्यम है। संसद के सत्रकाल में उसके प्रत्येक दिन का प्रथम एक घंटा प्रश्नकाल (Question Hour) के लिए निश्चित रहता है। औसतन तीस सौरिक प्रश्न प्रतिदिन पूछे जाते हैं जिनका उत्तर दिया जाता है। प्रश्न पूछने के तीन मुख्य उपदेश्य होते हैं :-

1. किसी विषय पर मंत्री की राय जानना
2. किसी प्रकार की जानकारी या प्रगति का पता करना
3. किसी आरोपित दुर्बलता के लिए सरकार को जटधरें में खड़ा करना

अर्थात् सभी प्रश्न गंभीर एवं महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। सामान्यतः प्रश्न पूछने के लिए संबंधित मंत्री को 10 दिन का समय देना आवश्यक है किन्तु अत्यंत गंभीर तथा तात्कालिक महत्व के प्रश्नों पर यह बाधयता लागू नहीं होती है। संसदीय प्रश्न दो प्रकार के होते हैं :-

1. **तारांकित (Starred)** प्रश्न वे होते हैं जो तारे के चिह्न से चिह्नित होते हैं और जिनका सौरिक उत्तर दिया जाता है।





ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए मंत्री एवं लोक सेवकों को खासी मेहनत करनी पड़ती है।

2. अतारांकित (Unstarred) प्रश्नों पर तारों का चिह्न अंकित नहीं किया जाता तथा उनका उत्तर लिखित में दिया जाता है। यद्यपि संसद में प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा दिया जाता है किन्तु यह उत्तर सम्बन्धित मंत्रालय एवं उसके कार्यकारी संगठनों के अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है। इसी कारण जब तक संसद या राज्य विधानमण्डलों का सत्र चल रहा होता है तब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी शिथिलता प्रदर्शित नहीं करता है। यद्यपि मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है किन्तु इस विशेषाधिकार का उपयोग बहुत कम किया जाता है। भारत में सन् 1892 में प्रथम बार विधायिका में प्रश्न पूछने तथा सन् 1909 में पूरक प्रश्न पूछने की शुरुआत हुई जो आज एक सशक्त संसदीय प्रक्रिया बन चुकी है जिसके द्वारा प्रशासनिक तंत्र पर सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित किया जा चुका है। ब्रिटिश संसद बू गेटस्कैल का कथन है - "लोक सेवकों को सतर्क, मयमीत तथा सावधान रखने की यदि कोई सार्वजनिक विधि है तो वह संसदीय प्रश्न ही है।" इसी प्रकार का विचार ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली का था जो कहते थे कि प्रजातंत्र में संसदीय प्रश्न लोक सेवा को सजग तथा जवाबदेह बनाए रखते हैं। भारत में फिरोज गांधी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न ने मंडूड़ा काण्ड (1957) को उजागर कर तत्कालीन कृषि मंत्री टी टी कृष्णामूर्ति को उयागपत्र के लिए विवश कर दिया था। इस काण्ड में कानूपर के उद्योगपति हरिदास मंडूड़ा ने अपनी कम्पनी के शेयरों के भाव बढ़ाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से एक करोड़ रुपये हासिल किए थे। इसी प्रकार भारत-पाक युद्ध (1947) के समय खरीदी गई जीपों के घोटाले का प्रश्न (1951) में भी खूब चर्चित रहा। सन् 1974 में पाण्डिचेरी के व्यापारी तुल मोहन द्वारा 21 सांसदों के कर्जी हस्ताक्षर कर उद्योग मंत्रालय से आयात लाइसेंस का प्रकरण भी संसदीय प्रश्नों के माध्यम से जनता के समक्ष आया था। भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार नवम्बर, 2001 में





## Daily Notes

विपक्ष ने पुनः रक्षा मंत्री बने **जार्ज फर्नाण्डीज** से लोकसभा के पूरक प्रश्न पूछने से मना कर दिया था क्योंकि फर्नाण्डीज पर तटलका प्रकरण में कुछ आरोप थे। अतः त्यागपत्र के बाद पुनः रक्षा मंत्री बनना विपक्ष की नजर में अपेक्षाकृत कम था। संसद की साप्ताहिक रिपोर्टों में इन प्रश्नों एवं अन्य कार्यवाहियों का विवरण रहता है।

4. **शून्यकाल** - प्रश्नकाल में सभी इच्छुक सदस्य जम्हिर सम्बन्धित प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं अतः वे प्रश्नकाल की समाप्ति के पश्चात् भी चर्चा करते रहते हैं। इसी कारण नवम्बर, 1996 से शून्यकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल का एक घण्टा समाप्त होते ही शून्यकाल (Zero Hour) शुरू हो जाता है जिसमें संसद सदस्य सामसायिक विषयों पर बिना पूर्व सूचना के मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। यह समय कार्यपालिका को विवादित मुद्दों पर धरने तथा सचेत करने का होता है। शून्यकाल आधा घण्टा से 2 घण्टे तक हो सकता है। चौथी लोकसभा (1967-70) के समय शून्यकाल का महत्व अत्यधिक था किन्तु आठवीं लोकसभा (1985-89) में राजीव गाँधी कांग्रेस के प्रचण्ड बहुमत के कारण गैर कांग्रेसी फल पूर्ण विपक्ष की भूमिका निभाने में असमर्थ थे। लेकिन सन् 1989, 1991, 1996 तथा 1998 में गठित 9 वीं से 12 वीं लोकसभा में अल्पमत सरकारों के समक्ष शून्यकाल के प्रश्न पुनः महत्वपूर्ण हो गए।

5. **काम रोकें या स्थगन प्रस्ताव** - किसी सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर सदन में बहस कराने के लिए सामान्यतः पोस्टर 12 बजे से पूर्व अध्यक्ष से 'काम रोकें प्रस्ताव' (Adjournment Motion) की अनुमति माँगी जाती है। यदि 40 या अधिक संसद इसका समर्थन करे तो सदन के सभ्यता कार्य रोककर 'काम रोकें या स्थगन प्रस्ताव' पर सदन के समस्त कार्य जो अधिकतम तीन घण्टे की हो सकती है। इस प्रस्ताव के लिए शर्त यह है कि मुद्दा विशिष्ट, महत्वपूर्ण तथा तात्कालिक हो, तथ्यों पर आधारित हो, सार्वजनिक महत्व





जा हो, न्यायालयों में विचारार्थीन हो, सरकार के प्रशासनिक कार्यों से सम्बन्धित हो तथा ऐसा न हो कि सदन में पहले से उस पर चर्चा हो चुकी है। चर्चा के पश्चात् इस प्रस्ताव पर मतदान करवाया जाता है जो बहुमत से पारित होने पर सरकार को संकट में डाल सकता है। तत्पश्चात् यह है कि काम रोकने के प्रस्ताव के अधिकोश प्रकरण निष्क्रिय हो जाते हैं। तीसरी लोकसभा में 476 प्रस्तावों में से केवल 4 पर ही आगे कार्यवाही हो सकी थी।

6. **दो घण्टे की बहस** - किसी विशिष्ट महत्व के प्रश्न पर दो घण्टे तक सदन में होने वाली बहस भी महत्वपूर्ण सूचिका विभागी है जिसके द्वारा सरकार एवं विपक्षी दलों का रवैया स्पष्टतः सामने आता है। इस बहस के पश्चात् मतदान नहीं होता है।

7. **ध्यानार्कषण प्रस्ताव** - किसी गम्भीर तथा तात्कालिक महत्व के प्रश्न पर कोई भी संसद सदस्य ध्यानार्कषण प्रस्ताव (Calling Attention Notice) ला सकता है जिसे अद्यक्ष अनुमति देने या न देने के लिए स्वतंत्र होता है। इस प्रस्ताव में सम्बन्धित मंत्री से स्पष्टीकरण माँगा जाता है जिसका वह तुरंत या कुछ समय बाद स्पष्टीकरण देता है।

8. **अविश्वास प्रस्ताव** - जब सरकार की कोई नीति या कार्यकरण पूर्णतया या अंशतः दोषपूर्ण तथा आपत्तिजनक हो तो विपक्षी दल द्वारा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) प्रस्तुत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के पश्चात् मतदान होता है। यदि विपक्षी दलों की जीत होती है तो सरकार को तुरंत ८ यागपत्र देना पड़ता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय कम से कम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक रहता है।

ठीक इसके विपरीत 'विश्वास प्रस्ताव' (Confidence Motion) सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से प्रस्तुत किया जाता है जिसमें प्रस्तुतकर्ता सदन में अपना बहुमत या विश्वास सिद्ध करते हैं। यदि इस प्रस्ताव पर मतदान के पश्चात् सरकार अल्पमत में हो तो उसे ८ यागपत्र देना पड़ता है।





## Daily Notes

9. **विधेयकों पर बहस** - संसद में प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक विधेयक (Bill) को पारित करने से पूर्व उस पर कई बार वाचन एवं बहस होती है। इस समय सम्बन्धित विधेयक के कानूनी प्रावधानों तथा सरकार की नीति की आलोचना भी की जाती है। सन् 1951 में हिन्दू कोड बिल तथा सन् 1994 में मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकारों में कटौती के विधेयक विपक्षी पक्षों के कठोर तैवर के कारण सरकारों द्वारा वापिस ले लिए गए। लोकसभा के विघटित हो जाने पर विधेयकों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है -

- i) यदि कोई विधेयक लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है तथा राज्यसभा में लम्बित (प्रक्रिया में है) है तो वह समाप्त नहीं किया जा सकता है।
- ii) वह विधेयक जो राज्यसभा द्वारा पारित करके लोकसभा में भेजा जा चुका है तथा लोकसभा में लम्बित है, समाप्त माना जाता है।
- iii) वह विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित करके राज्यसभा को भेजा जा रहा है और वहाँ लम्बित है, समाप्त माने जाते हैं। इस प्रकार के विधेयकों यदि राष्ट्रपति चाहे तो संयुक्त अधिवेशन बुलाकर बचा सकता है।
- iv) लम्बित विधेयक से वह विधेयक नहीं आता जो दोनों सभों द्वारा पारित होने के पश्चात् राष्ट्रपति की सहमति के लिए रखा हुआ है अथवा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के लिए प्रस्तुत किया है।

संसदीय नियंत्रण में मंत्रियों या अन्य सदस्यों द्वारा 'प्रस्ताव' पारित कराने, दिन के अंत में 'आधे घण्टे की बहस' करने तथा अन्य चर्चाओं के माध्यम से भी संसदीय प्रक्रियाएँ भी सम्पादित होती हैं जिनका विवरण सदन की कार्य प्रक्रिया नियामकवली में वर्णित होता है। लोकसभा नियम-184 तथा राज्यसभा नियम-170 के अन्तर्गत किसी मुद्दे पर विशेष चर्चा भी हो सकती है तथा तथा उस पर मतदान भी हो सकता है। निन्दा प्रस्ताव (Censure Motion) से संबंधित ऐसी चर्चाएँ सरकार के लिए प्रत्यक्ष संकेत



उत्पन्न नहीं करती बल्कि एक सचेत नियंत्रण का कार्य अवश्य करती है। 19 दिसम्बर, 2000 को राज्यसभा में कांग्रेस का अयोध्या मुद्दे पर वाजपेयी सरकार के विरुद्ध बिन्दा प्रस्ताव पारित हुआ था (121-86 वोट)। इस प्रस्ताव का नियम-168 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया तथा नियम 170 के तहत मतदान हुआ। इससे पूर्व सन् 1978 में चौधरी चरणसिंह सरकार के खिलाफ भी कांग्रेस का बिन्दा प्रस्ताव पारित हुआ था। इस प्रस्ताव का राज्यसभा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, लोकसभा में पारित हो तो सरकार के लिए संकट होता है।

## II संसदीय समितियों द्वारा नियंत्रण

भारत सहित अधिकांश देशों की संसदों के पास कार्यों में विविधता तथा सदस्यों की राजनीतिक विवशताएँ एवं समयमात्र है अतः बहुत से विधायी एवं गम्भीर प्रकृति के कार्यों को कुशलतापूर्वक सम्पादित करने के लिए अनेक प्रकार की समितियाँ गठित की जाती हैं। संसद के दोनों सदनो की समितियों की संरचना (कुछ अपवादों को छोड़कर) एक जैसी है। इन समितियों की नियुक्ति, कार्यकाल, कार्य एवं कार्य संचालन की प्रक्रिया भी लगभग समान ही है जो संविधान के अनुच्छेद 118 (1) के अन्तर्गत दोनों सदनो द्वारा निर्मित नियमों की धाराओं के अनुसार अधिनियमित होती है। सामान्यतः ये समितियाँ दो प्रकार की होती हैं - स्थायी समितियाँ तथा तदर्थ या अस्थायी समितियाँ। स्थायी समितियाँ प्रतिवर्ष या समय समय पर निर्वाचित या नियुक्त की जाती हैं तथा इनका कार्य प्रायः निरंतर चलता रहता है जबकि तदर्थ समितियों की नियुक्ति आवश्यकतानुसार की जाती है तथा अपना कार्य पूर्ण करने एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वे स्वतः समाप्त हो जाती हैं।

स्थायी समितियों में जॉय समितियाँ (जनहित समिति तथा विशेषाधिकार समिति), संवीक्षण समितियाँ (सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति), अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति तथा





## Daily Notes

पटल पर रखे जाए पत्रों सम्बन्धी समिति), सदन के दैनिक कार्य से सम्बन्धित समितियाँ (कार्य मंत्रणा समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर प्रस्ताव संबंधी समिति, नियम समिति तथा सदन की बैठकों में अनुपस्थित सदस्यों सम्बन्धी समिति), अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, सदस्यों को सुविधाएँ प्रदान करने सम्बन्धी समितियाँ, सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति, आवास समिति, सांसद सदस्यों के वेतन - भत्ते संबंधी समिति, लाम के पदों संबंधी संयुक्त समिति, पुस्तकालय समिति तथा सीटलाओं के आधिकार संबंधी समिति प्रमुख हैं।

लोकसभा की ध्यायी समितियों में तीन वित्तीय समितियाँ तथा - लोक लेखा समिति, अनुमान समिति तथा लोक उपक्रमों पर समिति अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन तीन महत्वपूर्ण समितियों के अतिरिक्त 8 अप्रैल, 1993 से 17 विभागीय समितियाँ (अब 24 समितियाँ भी कार्यरत हैं जो अनुदान माँगों पर विचार-विमर्श कर वार्षिक प्रणाली को कुशल बनाती हैं। अस्थायी समितियाँ किसी विचाराधीन प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन द्वारा या अध्यक्ष द्वारा किसी विशिष्ट विषय के लिए या विशेष विधेयकों पर विचार करने एवं रिपोर्ट देने के लिए प्रवर एवं संयुक्त समितियों के रूप में बनायी जाती हैं। लोक प्रशासन पर संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण के क्रम में निम्नांकित समितियाँ महत्वपूर्ण हैं -

- i) लोक लेखा समिति Public Accounts Committee
- ii) अनुमान समिति Estimate Committee
- iii) लोक उपक्रमों पर समिति Committee on Public Undertakings

**संसदीय नियंत्रण की सीमाएँ** Limitations of Parliamentary Control

3. सभी संसद सदस्य संसद की कार्यवाहियों में रुचि प्रकट नहीं करते हैं बल्कि सभी दलों में कतिपय दो-चार सदस्य ही पूर्ण रूप से मुखर एवं सक्रिय भजर आते हैं।





2. संसद सदस्यों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित नहीं है अतः सभी सदस्य विधायिका तथा कार्यपालिका की तकनीकी शक्तों एवं प्रक्रियाओं से पूर्ण भिन्न नहीं होते हैं। ऐसे में कई बार स्वतः ही अरुचि हो जाती है।
3. औपचारिक सदस्य पक्षीय राजनीति के संकीर्ण दायरे से बाहर नहीं आ पाते हैं अतः पूर्ण सक्रियता तथा उद्देश्यपरकता प्राप्त हो जाती है।
4. प्रचण्ड बहुमत के समय सरकार के सम्मुख विपक्षी पक्षों की स्थिति अत्यंत कमजोर हो जाती है जैसा कि वर्ष 1984-85 में आठवीं लोकसभा के लिए हुए चुनावों में 508 स्थानों में से 401 पर कांग्रेस विजयी रही थी। ऐसी स्थिति में जबकि सत्तारूप पक्ष के पास तीन चौथाई से भी अधिक बहुमत हो तो संसद में विपक्षी कितना सक्रिय दिखाई दे सकता है।
5. नीति - निर्धारण एवं कानून निर्माण में लोक सेवक ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऐसी स्थिति में विधायिका की भूमिका गौण हो जाती है।
6. संसदों के पास वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी तथा विधायक विषयों से सम्बन्धित पञ्चता का अभाव रहता है अतः कई बार पूर्ण सहभागिता प्रकट नहीं होती है।
7. वैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद कोई नया कर नहीं लगा सकती है बल्कि कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत करों में कटौती कर सकती है। इस प्रकार की स्थिति में बजट संश्लेषी प्रावधान ज्यों के त्यों पारित कर दिए जाते हैं।
8. भारतीय विधानमण्डलों में विगत एक दशक से आ रही नैतिक गिरावट के कारण कतिपय जनप्रतिनिधियों का व्यवहार नितान्त गैर जिम्मेदारना तथा अलोकतांत्रिक हो गया है। ऐसे में जब संसद स्वयं नियंत्रित नहीं है तो वह प्रशासन को किस आधार पर नियंत्रित करे।
9. संसद में पूछे गए कई प्रश्नों का उत्तर 10-11 वर्षों पश्चात् प्राप्त हो रहा है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि संसदीय नियंत्रण का प्रभाव न्यून है।
10. कई बार पक्षीय भावना से ग्रस्त होकर अनावश्यक प्रश्न भी सदन में पूछे जाते हैं जिसमें मुख्यतः से लेकर क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों तक मचने वाली हड़बड़ी में लारवी रूप से निरर्थक व्यवस्था भी हो जाती है।